



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 612 राँची, सोमवार, 23 सितम्बर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

9 सितम्बर, 2024

संख्या-5/आरोप-1-28/2014 का.--27239 (HRMS)--श्री अनिल कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-608/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार के विरुद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-199/ म०को०, दिनांक 21.02.2012 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-'क' में श्री कुमार के विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित हैं-

(i) ग्राम पंचायत बंधुआ, जुंगूर, जान्हो, पल्हैया एवं डोंकी में प्रति 125 एकड़ कुल 500 एकड़ में वृक्षारोपण मार्गदर्शिका में निहित प्रावधाननुसार कराना था, जिसके विरुद्ध बंधुआ-4, जुंगूर-6 एवं जान्हो-5.75 एकड़ में वृक्षारोपण कार्य कराया गया है। योजना स्थल पर सूचनापट्ट नहीं लगाया गया है तथा प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण के बाद 03 वर्ष तक रख-रखाव सुनिश्चित नहीं कर कार्यान्वयन कराने में कोताही लापरवाही बरती गयी है ।

(ii) योजना से संबंधित मस्टर रॉल, अभिश्रव, मापी पुस्तक का संधारण संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं रहना, कार्यों के प्रति कोताही, लापरवाही, उदासीनता को दर्शाता है ।

(iii) जान्हो पंचायत का परहिया टोला (योजना संख्या-26/2007-08) में दिनांक 17.07.2007 को 4,00,000/- (चार लाख) रुपये, दिनांक 27.07.2007 को 6,00,000/- (छः लाख) रुपये, दिनांक 06.08.2007 को 8,00,000/- (आठ लाख) रुपये एवं दिनांक 20.08.2007 को 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपये एवं दिनांक 06.09.2007 को 10,00,000/- (दस लाख) रुपये एवं बंधुआ ग्राम में (योजना संख्या-27/07-08) दिनांक 20.09.2007 को 7,00,000/- (सात लाख) रुपये, दिनांक 01.10.2007 को 7,00,000/- (सात लाख) रुपये बिना पूर्व अग्रिम के समायोजन के बारम्बार अग्रिम देकर सरकारी राशि के दुरुपयोग/अनियमितता का आरोप बनता है ।

(iv) तत्कालीन उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-2254, दिनांक 18.12.2007 द्वारा मनरेगा अन्तर्गत जेट्रोफा पौधारोपण के संबंध में 8 बिन्दुओं पर कार्यान्वयन के निदेश का अनुपालन करने संबंधी कोई दस्तावेज नहीं पाया गया। तत्कालीन उप विकास आयुक्त, लातेहार के पत्रांक-98, दिनांक 18.01.2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में योजनावार प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, जिसका अनुपालन नहीं किया गया। इसी प्रकार तत्कालीन उप विकास आयुक्त, लातेहार के पत्रांक-346, दिनांक 07.03.2008, पत्रांक-2254, दिनांक 18.12.2007 एवं पत्रांक-98, दिनांक 18.01.2008 द्वारा दिये गये पत्र का प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण स्मार पत्र दिया गया परन्तु प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। स्मार पत्र पत्रांक-202, दिनांक 11.02.2008 के द्वारा वर्णित तथाकथित पायी गयी अनियमितता के संबंध में बिन्दुवार प्रतिवेदन की माँग की गयी थी परन्तु उपलब्ध नहीं कराया गया, जो कार्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता तथा आदेशों की अनदेखी करने एवं अनुशासनहीनता का आरोप बनता है ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-9961, दिनांक 15.10.2013 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-372, दिनांक 10.07.2014 से समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध एक भी आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया है ।

3. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त, विभागीय संकल्प सं०-5205, दिनांक 10.06.2015 द्वारा इनके विरुद्ध असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-49(1) एवं (2) के तहत निन्दन एवं तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

4. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में याचिका सं०- W.P.(S) No-3790/2015 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2020 को पारित न्यायादेश में विभागीय संकल्प सं०-5205, दिनांक 10.06.2015 द्वारा अधिरोपित दण्ड को निरस्त करते हुए इनसे द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया ।

5. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में मामले के समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-5205, दिनांक 10.06.2015 द्वारा अधिरोपित निन्दन एवं तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड संबंधी दण्डादेश को विभागीय संकल्प सं०-1124, दिनांक 23.02.2021 द्वारा रद्द किया गया तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में असहमति के बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए विभागीय पत्रांक-1190, दिनांक 24.02.2021 द्वारा संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित

करने के बिन्दु पर श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई ।

6. उक्त के अनुपालन में श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिस पर विभागीय पत्रांक-3234, दिनांक 16.07.2021 द्वारा उपायुक्त, लातेहार से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-1622, दिनांक 18.11.2021 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है।

7. श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा पर उपायुक्त, लातेहार द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य एवं मामले की समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-24398(HRMS), दिनांक 04.10.2023 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है ।

8. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-136/रा०स०, दिनांक 12.01.2024 के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया गया।

9. श्री कुमार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा अपील अभ्यावेदन में प्रायः सभी वही तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, जो उनके द्वारा पूर्व में समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में प्रस्तुत किया जा चुका है ।

उनके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन में दण्ड अधिरोपण संबंधी निर्गत आदेश विभागीय संकल्प संख्या-24398(HRMS), दिनांक 04.10.2023 में अंकित बिन्दुओं को अप्रमाणित करने से संबंधित कोई विशेष तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

उनके द्वारा अपील अभ्यावेदन में प्रतिवेदित है कि वृक्षारोपण से संबंधी उनके द्वारा जो भी साक्ष्य दिये गये हैं, निदेशक, डी०आर०डी०ए० द्वारा इसे अभिप्रमाणित किया गया है। दिनांक 26.10.2007 को उनका स्थानांतरण के उपरांत इनके प्रतिस्थानी द्वारा उक्त योजनाओं में अग्रिम दी गई है, जो यह प्रमाणित करता है कि उनके द्वारा कराये गये कार्य गुणवत्तापूर्ण थी एवं उनके द्वारा दी गई अग्रिम का समयोजन कर ली गई है। जबकि विभागीय समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, लातेहार के नेतृत्व में गठित जाँच दल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में कुल 375 एकड़ जेट्रोफा पौधारोपण के स्थान पर मात्र 15.57 एकड़ में ही उपलब्ध वृक्षारोपण कार्य प्रतिवेदित गया है एवं इस संबंध में आरोपी पदाधिकारी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा एवं अपील अभ्यावेदन में कोई संतोषजनक तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा भुगतान की गई राशि के विरुद्ध कार्य अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जाँच में योजना स्थल पर नहीं पाया गया है ।

आरोप से संबंधित योजना सं०-26/2007-08 में श्री कुमार द्वारा कुल प्राक्कलित राशि 45,64,500/- के विरुद्ध दिनांक 17.07.2007 से 06.09.2007 की अवधि में कुल 33,00,000/- एवं योजना सं०-27/2007-08 दिनांक 20.09.2007 से 01.10.2007 की अवधि में 14,00,000/- रुपये अग्रिम राशि का भुगतान अध्यक्ष, झारखण्ड विकास मोर्चा, धनबाद को किया गया है। इसके अतिरिक्त योजना स्वीकृति आदेश ज्ञापांक-1267, दिनांक 13.07.2007 की कंडिका-5 में अंकित “पौधा, खाद्य, भूमि की तैयारी एवं रख-रखाव मद की राशि स्वयं सेवी संस्था को विमुक्त करने के संबंध में भी संतोषजनक तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

10. श्री कुमार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत, अपील अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-24398(HRMS), दिनांक 04.10.2023 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक के अधिरोपित दण्ड को यथावत् रखने संबंधित प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। तत्पश्चात् उक्त प्रस्ताव को दिनांक 29.08.2024 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-34 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृत किया गया है।

अतः श्री अनिल कुमार, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-608/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-24398(HRMS), दिनांक 04.10.2023 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक के अधिरोपित दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अनिल कुमार, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ANIL KUMAR BHR/BAS/2996	श्री अनिल कुमार, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-608/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-24398(HRMS), दिनांक 04.10.2023 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक के अधिरोपित दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के उप सचिव।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
